संख्या-317/2018/4137/22-2-2017-17(74)/2014

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 16 अप्रैल, 2018***

विषय: आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी कल्लू पुत्र प्रभु रैदास निवासी जनपद-सीतापुर की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-45968/प्रोबे0अनु0(2)/सला0 समिति/(एम0 21.12.2017) दिनांक-29.12.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी कल्लू पुत्र प्रभु रैदास, जो जमौली, थाना-रेउसा जनपद-सीतापुर का रहने वाला है। बन्दी द्वारा एक औरत लाने के बाद उसके साथ 8-10 दिन रही, फिर वह मृतक वादी सियाराम के छोटे भाई के साथ उसकी पत्नी की तरह रहने लगी। बन्दी का शक सियाराम पर गया तथा कल्लू व सियाराम का रोजगार को लेकर आपस में पूर्व से विवाद चल रहा था, जिसके कारण बन्दी ने दिनांक 31.05.1999 को सियाराम के पुत्र को गन्ने के खेत में गला दबाकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-466/1999 में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 सत्र न्यायाधीश, सीतापुर के आदेश दिनांक 23.03.2001 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 17.10.2017 तक 18 वर्ष 04 माह 16 दिन की अपरिहार सजा तथा 21 वर्ष 10 माह 22 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है। सम्बन्धित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। सलाहकार समिति की आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि बन्दी की आयु, कारित अपराध, पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मुक्ति की संस्तुति न किये जाने एवं पीठासीन अधिकारी की मुक्ति के सम्बन्ध में स्पष्ट आख्या/संस्तुति न किये जाने के दृष्टिगत जेल मैनुअल के प्रस्तर-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

198 एवं धारा-432 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी कल्लू पुत्र श्री प्रभु रैदास को रिहा किये जाने की **संस्तुति नहीं की** गयी है।

3- अतः उक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बन्दी कल्लू (बन्दी संख्या-14689) पुत्र प्रभु रैदास निवासी जनपद-सीतापुर की जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 एवं धारा 432 द0प्र0स0 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-317/2018/4137/(1)/22-2-2017 तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, आदर्श कारागार, लखनऊ।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(कलाम मुहीउद्दीन)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।